कार्यालय, मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा(छ.ग.)

बिहान

कार्यालयः 07856.252522, फैक्स : 252575, निवास : 252523 ई–मेल पता :– zp-dantewada.cg@nic.in

क्रमांक/1947 /जि.पं./NRLM/रूचि की अभि./ 2021 दन्तेवाड़ा दिनांक 20/07/2021

::– रूचि की अभिव्यक्ति –::

मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत दंतेवाड़ा की ओर से कार्यालयीन केन्टीन/भोजनालय का संचालन करने हेतु केवल राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (बिहान) पोर्टल में पंजीकृत स्थानीय महिला स्व सहायता समूहों को आंमत्रित किया जाता है। निविदा जमा करने की अंतिम तिथि 30.07.2021 होगी। रूचि की अभिव्यक्ति संबंधी विस्तृत जानकारी हेतु एन.आर.एल.एम. शाखा से संपर्क करें अथवा dantewada.gov.in का अवलोकन करें।

रूचि की अभिव्यक्ति आवेदन विक्रय की अंतिम तिथि – 30/07/2021 समय शाम 5.30 बजे तक

रूचि की अभिव्यक्ति जमा करने की अंतिम तिथि – 31/07/2021 समय दोपहर 3 बजे तक

रूचि की अभिव्यक्ति खोलने की तिथि – 31/07/2021 समय शाम 4 बजे तक

स्थान – सभाकक्ष जिला पंचायत दंतेवाड़ा

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत दन्तेवाड़ा

::– रूचि की अभिव्यक्ति संबंधी शर्ते –::

1. निविदा प्रपत्र जिला पंचायत दंतेवाड़ा के एन.आर.एल.एम शाखा के कार्यालयीन समय में 100 रूपये अक्षरी एक सौ रू0 नगद राशि जमा कर आवेदन करने की अन्तिम तिथि 30/07/2021 तक प्राप्त किया जा सकता है।
2. निविदा दिनांक 31/07/2021 को दोपहर 3 बजे तक ही स्वीकार की जावेगी तथा निविदा उसी दिनांक 31/07/2021 को 4.00 बजे जिला पंचायत सभाकक्ष में खोली जायेगी जिसमें महिला स्व–सहायता समूहों के प्रतिनिधि उपस्थित हो सकते हैं।
3. रूचि की अभिव्यक्ति के साथ अमानत राशि के रूप में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत दंतेवाड़ा के नाम से 3,000.00 रूपये अक्षरी तीन हजार रूपयें का डिमांड ड्राफ्ट या एफडीआर संलग्न करना होगा।
4. महिला स्व–सहायता समूह का चयन निविदा समिति जिला पंचायत द्वारा भोज्य सामाग्रियों के न्यूनतम संकलित दर प्रस्तुत करने वाले समूह के आधार पर किया जायेगा।
5. समान दर प्राप्त होने की स्थिति में स्व–सहायता समूह का चयन समिति के द्वारा साक्षात्कार एवं दर परिचर्चा के माध्यम से किया जायेगा।
6. चयनित महिला स्व–सहायता समूह को परिसर में सुसज्जित स्थान उपलब्ध कराया जायेगा।
7. चयनित महिला स्व–सहायता समूह को जिला पंचायत के निशुल्क जल उपलब्ध कराया जायेगा।
8. चयनित महिला स्व–सहायता समूह को विद्युत देयक का भुगतान करना होगा।
9. चयनित महिला स्व–सहायता समूह को केन्टीन संचालन हेतु किसी प्रकार की राशि का भुगतान नहीं किया जायेगा, वे निर्मित भोज्य सामग्रियों के विक्रय से आय अर्जित करेंगे।
10. चयनित महिला स्व–सहायता समूह को जिला पंचायत द्वारा निर्धारित मीनू अनुसार जलपाल एवं भोजन सामग्रियों की व्यवस्था रखनी होगी।
11. चयनित महिला स्व–सहायता समूह को स्वच्छता एवं हाईजीन का पालन करना होगा।
12. चयनित स्व–सहायता समूह को नियमित रूप से केन्टीन का संचालन करना होगा।
13. चयनित स्व–सहायता समूह को भोज्य सामग्रियों की गुणवत्ता बनाये रखनी होगी।
14. चयनित स्व–सहायता समूह को भोज्य सामग्रियों दर सूची का बोर्ड लगाना होगा।
15. उपरोक्त शर्तो का पालन नहीं किये जाने पर किसी भी समय रूचि की अभिव्यक्ति आदेश निरस्त कर अन्य स्व–सहायता समूह को स्थानातरित किया जा सकेगा।
16. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में अधोहस्ताक्षर कर्ता का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।
17. पूर्व में केन्टीन संचालित स्व सहायता समूह को प्राथमिकता दिया जावेगा।
18. परिशिष्ट "अ" एवं "ब" पृथक–पृथक लिफाफे में संलग्न किया जावेगा।